प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्रांक / एन0ओ0सी0 / /2020 दिनांक 10/06/2020

विषय :- सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, शाहपुर , बमहेटा, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विद्यालय के भू–अभिलेखों का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के आदेश संख्या–8817–23/पी0–ए0 2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 के अनुपालन में सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले विद्यालयों के भू–अभिलेखों का सत्यापन निम्न अंकित बिन्दुओं पर प्रेषित किया जाना है। अतः उक्त विद्यालय द्वारा प्रस्तुत भू–अभिलेख इस निवेदन के साथ प्रेषित हैं कि कृपया सत्यापन आख्या में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश कराते हुए संलग्न प्रारूप पर आख्या भिजवाने का कष्ट करें।

(1) विद्यालय के पास कुल भूमि की माप (वर्गमीटर में)।
(2) भूमि विकास प्राधिकरण/विकास परिषद/यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से आवंटन द्वारा प्राप्त की गयी है, तो आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, पट्टा अभिलेख के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जाय।
(3) भूमि नगर निकाय क्षेत्र में स्थित है, तो उसका प्रमाण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का स्वीकृत मानचित्र होने का उल्लेख किया जाय।
(4) भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित/विकसित क्षेत्र में है, तो भूमि किस उपयोग हेतु आरक्षित है एवं उसका खसरा नम्बर तथा खतौनी की नवीन सत्य प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जाय।
(5) भूमि यदि 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी है, तो वह किसके नाम लीज पर ली गयी हैं और पंजीकरण के आधार पर किसके स्वामित्व में है।
(6) भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर होने की दशा में भूमि का भू–उपयोग उत्तर प्रदेश के सब रीजनल प्लान व एन0सी0आर0 के रीजनल प्लान की गाइडलाईन के अनुसार है अथवा नहीं। (सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की जायेगी)
(7) भूमि यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, तो भूमि से सम्बन्धित खसरा नम्बरान का विवरण व सम्बन्धित खसरा नम्बरान की खतौनी की नकल के साथ–साथ स्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
(8) विद्यालय भूमि के कई गाटों में होने की स्थिति में क्या गाटे आपस में सटे है।
(9) विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
(10) विद्यालय में अग्निशमन व्यवस्था होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(11) वर्तमान भूमि/भवन पर किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय संचालित है या नही।
(12) विद्यालय का संचालन किस ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। नाम तथा पंजीकरण, नवीनीकरण की स्थिति का उल्लेख।

संलग्नक :- उक्तवत्।

भवदीय,

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 354-56 /2019 तद् दिनांक।

(1) प्रतिलिपि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, शाहपुर , बमहेटा, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की भू–अभिलेखों के सत्यापन में राजस्व विभाग के अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

St. Xavier's High School
Principal
9/6/20

SAINT XAVIER'S HIGH SCHOOL Ghaziabad

E:\NOC\REG COM\VLR (LTR).doc/322

Scanned with CamScanner